प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 20.06.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.06.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त प्रेमदास द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को अपने घर में बुलाकर उसके साथ छेडछाड करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 76 बीएनएस व 11(1)/12 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात पीडिता के बयानों व मेडिकल परीक्षण के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 11(1)/12 पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया तथा धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 20.06.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रेमदास पुत्र महाराज दास निवासी थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता मेरे पडोस में रहती है। मैंने उसको चार्जर देने के बहाने से अपने घर पर बुलाया था। घर पर कोई नहीं था तभी मैंने मौका पाकर उसके साथ गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

प्रेमदास पुत्र महाराज दास निवासी थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

स्वाट टीम "ग्रामीण जोन" व थाना ट्रोनिका सिटी, पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1.500 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 20.06.2026 को स्वाट टीम "ग्रामीण जोन" व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त अरमान पुत्र शहजाद निवासी अशोक विहार पानी टंकी वाला रोड आशियाना सिटी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 1.500 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी-छिपे बाहर से गांजा लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामों पर बेच देता हूँ तथा जो रूपये मिलते हैं, उनसे अपने शौक पूरे करता हूँ। आज मैं गांजे को बेचने के लिए ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में आया था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अरमान पुत्र शहजाद निवासी अशोक विहार पानी टंकी वाला रोड आशियाना सिटी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कुल 1.500 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर गांजा की तस्करी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करनेवाली पुलिस टीम-

स्वाट टीम "ग्रामीण जोन"।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अवैध गांजा बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4 किलो 956 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 9,500 रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण - दिनांक 20.06.2026 की रात्रि को चेकिंग के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गांजा बेचने वाला अभियुक्त शाहरूख पुत्र आरिफ निवासी म0न0 570 गली नं0 07 आश्रम रोड थाना नंदग्राम गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को 04 किलो 956 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 9,500 रुपये के साथ सैक्टर 07 सर्विस रोड टी पाइन्ट के पास से समय करीब 03.13 बजे गिरफ्तार किया गया है , गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया की मै गांजा दिल्ली से लाता हूँ लेकिन जिस भी आदमी से मैं गांजा लाता हुँ मुझे उसका नाम-पता नही पता है। मैंने इसमें से कुछ गाँजा चलते-फिरते नशा करने वालों को बेंच दिया है जो रुपये बरामद हुए है इसी गांजा के है जिससे अपना घर का खर्चा चलाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शाहरूख पुत्र आरिफ निवासी- म0न0 570 गली नं0 07 आश्रम रोड थाना नंदग्राम गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

बरामदगी

- 04 किलो 956 ग्राम नाजायज गांजा
- 9500/- रुपये गांजा बिक्री के।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर गांजा बरामदगी का एनडीपीएस सम्बन्धी 01 अभियोग पंजीकृत है। 01 अभियोग मारपीट का थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर ठगी हेतु बैंक खाते मैनेज करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.01.2024 से दिनांक 25.04.2024 के मध्य श्री संजय कटियार से कुल 1,37,00,000/- रुपये विभिन्न खातों में क्रिप्टो टेडिंग के नाम पर ट्रांसफर कराकर ठगी की गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री संजय कटियार द्वारा दिनांक 01.05.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस मुकदमे का अनावरण कर दिनांक 28.07.2024 को प्रदीप कुमार , सुमित कुमार , आकिफ फरहान खान उर्फ मनन, दिनांक 14.08.2024 को अमित ककड़िया रंछोड़भाई एवं 23.08.2024 को मनोज राणा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इस गैंग के सदस्य अश्वनी अरोड़ा निवासी गीता कॉलोनी दिल्ली को दिनांक 19.06.2026 को गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका -

अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से फेसबुक से सम्पर्क कर व्हाट्सएप नंबर से चैटिंग करते हुए एक क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिंग वेबसाइट https://www.lsecbuy.com के बारे में बताया तथा क्रिप्टो करेन्सी के द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने का विश्वास दिलाया, मुकदमा उपरोक्त में अभि0 गण द्वारा संगठित रूप से फर्जी फर्में बनाकर उसके नाम पर करेन्ट बैंक अकाउन्ट खोलकर, अवैधानिक तरीके से सिम प्राप्त कर उसी सिम से व्हाट्सअप/टेलीग्राम आईडी बनाकर व्हाट्सअप/टेलीग्राम चैट करके वादी मुकदमा के साथ फर्जी क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिंग पोर्टल बनाकर उसे प्रलोभित कर फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग कराकर विभिन्न बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 37 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। वेबसाइट पर मुनाफे के रुप में एक राशि लगातार बढते क्रम में दर्शायी जाती थी। बढे हुए मुनाफे को निकालने के लिये और पैसा जमा करवाया जाता था।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त अश्वनी अरोड़ा पुत्र स्व0 श्री कृष्णलाल अरोड़ा निवासी म0 नं0 267 ब्लॉक नं0 13 द्वितीय तल गीता कॉलोनी थान गीता कॉलोनी पूर्वी दिल्ली उम्र करीब 41 वर्ष जो कि वर्तमान में अमेजन प्लेटफॉर्म पर आनलाइन चश्मा बेचने का काम करता है। अश्वनी ने अपने साथी तरुण धवन के माध्यम से मनोज राणा का MUSTER ENTERPRISES फर्म के नाम पर चालू खाता खुलवाकर, खाते की चैकबुक, एटीएम तथा इन्टरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी पासवर्ड तथा खाते से लिंक मो0नं0 लेकर मनदीप निवासी विजेन्द्र नगर दिल्ली को साइबर फ्रॉड में प्रयोग करने के लिये दिया। उक्त बैंक खातों में होने वाली ट्रांजेक्शन का 5 प्रतिशत कमीशन अश्वनी को मिलता था। अभियुक्त मनोज राणा आदि को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त मनदीप की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- **अश्वनी अरोड़ा पुत्र स्व0 श्री कृष्णलाल अरोड़ा निवासी म0 नं0 267 ब्लॉक नं0 13 द्वितीय तल गीता कालोनी थान गीता कालोनी पूर्वी दिल्ली उम्र करीब 41 वर्ष, शिक्षा – पोस्ट ग्रेजुएट, पेशा – ऑनलाइन ट्रेडिंग।**

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।